न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 21 वाद
अमरलाल मीणा पिता रूपा मीणा आयु 58 वर्ष, निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

वादी

बनाम

1 श्रीमती रामी पत्नि धन्ना भील, आयु वयस्क, निवासी खेंगरा का भागल लकडवास, पटवार हल्का लकडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब गिर्वा, उदयपुर

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री लक्ष्मीलाल जैन अधिवक्ता वादी उपस्थित.

निर्णय

दिनांक : 15.09.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम खेंगरो का भागल, पटवार हल्का लकडवास तह. गिर्वा उदयपुर की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 94 आ.स. 6721 / 4873 किता 1 रकबा 0.3250 हेक्टयर स्थित होकर जमावंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रेकार्ड है। वर्णित आराजी में वादी का 3 / 4, प्रतिवादीया श्रीमती रामी पत्नी धन्ना भील का 1 / 4 हिस्सा हक अधिकार होकर संयुक्त खातेदारी मे अंकित है व वादी एवं प्रतिवादियॉ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कानूनी बंटवाडा नही हुआ है। वादी अपनी जमीन को अधिक उपजाऊ बनलाकर डवल्पमेंट करना चाहता है तथा ऋण लेना चाहता है, लेकिन उक्त जमीन राजस्व रेकर्ड में सामलाती खाता होने से उक्त भूमि पर ऋण नहीं ले पा रहा है इसलिए वादी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि को राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज करवाना चाहता है जिससे वादी अपनी भूमि का सही उपयोग कर सके तथा उपजाऊ बना सके। उक्त भूमि संयुक्त होने से व दिन मौके पर सीमा नहीं होने से आये दिन मौके पर सीमा सम्बधित विवाद होता रहता है वाद कारण दिनांक 15.01.2021 को तक पैदा हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार मौखिक रूप से उक्त जमीन के हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा करने हेतु कहा गया लेकिन प्रविवादिया संख्या 1 द्वारा [illegible] कारण उत्पन्न हुआ एव तब से लगातार जारी है [illegible] बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी एव प्रतिवादिया संख्या एक के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वर्णित हक हिस्से अनुसार स्वतन्त्र खाते में दर्ज कराई जावें एव लगान अलग से कायम किया जावें एव प्रतिवादिया संख्या एक को स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवाडा कर बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व/प्रा0डि0/2021/990 दिनांक 29.07.2021 को बटवाडा कर बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नही की गई। उभयपक्ष बटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से बटवाडा रिपोर्ट अनुसार :–

1– लोगरलाल पिता रूपा मीणा सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
6721/4873 मी	0.2437	0.85
किता 1	रकबा 0.2437	लगान0.85

2– रामी पत्नी धन्ना भील सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
6721/4873/1	0.0813	0.28
किता 1	रकबा 0.0813	लगान0.28

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा ग्राम खेगरों की भागल पटवार मण्डल लकड़वास तह. गिर्वा उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 94 आ.स. 6721/4873 किता 1 रकबा 0.3250 हेक्टयर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिवादी संख्या एक को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खाते में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna G
Date: 2022.01.05 15:41:32 IS
Reason: SelfAttested